



2026:AHC:49407

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट- ए संख्या - 162 वर्ष 2026

मतेन्द्र सिंह पाल

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 7 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : रमेश चंद्र तिवारी

प्रतिवादी के अधिवक्ता : आज़ाद राय, सी.एस.सी.

कोर्ट नंबर - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश चंद्र तिवारी, राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री गया प्रसाद, तथा गाँव सभा की ओर से अधिवक्ता श्री आज़ाद राय को सुना गया।
2. इस न्यायालय ने दिनांक 10.02.2026 को इस याचिका को स्वीकार करते हुए, विद्वान स्थायी अधिवक्ता को निर्देश दिया कि वे आवश्यक निर्देश प्राप्त करें; तत्पश्चात् इस मामले को आज के लिए निर्धारित किया गया। श्री गया प्रसाद, विद्वान स्थायी वकील, द्वारा निर्देश उपलब्ध कराए गए हैं उनका निवेदन है कि वे निर्देशों से पूरी तरह सुसज्जित हैं और ये निर्देश रिट याचिका के निपटारे के लिए स्वयं में पर्याप्त हैं वे आगे कोई और शपथ-पत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं, और चाहते हैं कि याचिका का निर्णय रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर ही किया जाए अतः, पक्षों की सहमति से, रिट याचिका का निर्णय इसी प्रारंभिक चरण में किया जा रहा है।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसका चयन ग्राम पंचायत बड़गाँव, ब्लॉक भिटौरा, जिला फतेहपुर में ग्राम रोजगार सेवक के रूप में हुआ था, और 16.07.2012 को एक अनुबंध निष्पादित किया गया था। रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, वह अपने पद पर अपने कर्तव्यों का

डब्ल्यूआरआईए संख्या 162 वर्ष 2026

2

निर्वहन कुशलतापूर्वक और लगन से कर रहा है। हालाँकि, वर्ष 2021 में पंचायत चुनाव हुए, जिसमें रिट याचिकाकर्ता की भाभी, यानी मीरा देवी ने ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू देवी (प्रतिवादी संख्या 8) के खिलाफ ग्राम पंचायत चुनाव लड़ा और उन्हें विजयी घोषित किया गया; इस बात से रिट याचिकाकर्ता के प्रति दुर्भावना उत्पन्न हो गई, और इसके बाद रिट याचिकाकर्ता के खिलाफ लाभार्थियों को मिलने वाले लाभों को हड़पने और उनका दुरुपयोग करने के संबंध में एक शिकायत दर्ज की गई। रिट याचिकाकर्ता ने कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया, लेकिन उसे अपने कर्तव्यों का पालन करने की अनुमति नहीं दी गई; इसके अलावा, रिट याचिकाकर्ता के विरुद्ध एकपक्षीय जाँच भी की गई तत्पश्चात, दिनांक 24.10.2022 को, उप आयुक्त (श्रम एवं रोजगार), जिला फतेहपुर ने खंड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी, खंड-भिटौरा, जिला फतेहपुर को एक पत्र जारी किया जिसमें रिट याचिकाकर्ता के कार्य तथा उसे मानदेय के भुगतान के संबंध में निर्देश दिए गए थे।

4. वर्तमान याचिका में यह प्रार्थना की गई है कि प्रतिवादियों को यह निर्देश दिया जाए कि वे रिट याचिकाकर्ता को 'ग्राम रोजगार सेवक' के पद पर कार्य करने की अनुमति प्रदान करें।

5. इस न्यायालय ने दिनांक 10.02.2026 को निम्नलिखित आदेश पारित करते हुए रिट याचिका को स्वीकार किया:

1. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आर.सी. तिवारी, प्रत्यर्थी संख्या 7 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आज़ाद राय, तथा राज्य प्रत्यर्थियों की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री प्रेम शंकर मिश्र को सुना गया।

2. दिनांक 21.10.2022 के आदेश के माध्यम से, उप-आयुक्त (श्रम एवं रोजगार), फतेहपुर ने ग्राम पंचायत को निर्देश दिया है कि वे प्रस्तुत याचिकाकर्ता के विरुद्ध उचित कार्रवाई करें, और यह भी सुनिश्चित करें कि जिस तारीख तक याचिकाकर्ता को कार्य करने की अनुमति दी गई थी, उस तारीख तक का उसका भुगतान कर दिया जाए।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि उसके बाद दिनांक 21.10.2022 के उपर्युक्त आदेश के अनुसरण में कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

4. उपरोक्त को देखते हुए, प्रतिवादी संख्या 7 के विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वे दिनांक 21.10.2022 के आदेश के संबंध में विशिष्ट निर्देश प्राप्त करें कि उसके अनुपालन में क्या कार्रवाई की गई है।

डब्ल्यूआरआईए संख्या 162 वर्ष 2026

3

5. इस मामले को 9.3.2026 को, नए मामले के तौर पर, उपयुक्त पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।"

6. आदेश पारित होने के पश्चात्, आज दिनांक 10.03.2026 को खंड विकास अधिकारी, खंड-भिठौरा, जिला-फतेहपुर के हस्ताक्षर से निर्देश प्रेषित किए गए हैं, जिन्हें अभिलेख पर लिया गया है और परिशिष्ट ए के रूप में अंकित किया गया है।

7. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि सर्वप्रथम रिट याचिकाकर्ता की सेवाएँ समाप्त करते समय रिट याचिकाकर्ता को कोई भी आदेश तामील नहीं किया गया है। आगे यह भी निवेदन है कि रिट याचिकाकर्ता को उस अवधि का मानदेय/पारिश्रमिक भी नहीं दिया गया है जिस दौरान उसने कार्य किया था और वह इस संबंध में दिनांक 24.10.2022 के उस पत्र पर भरोसा करना चाहता है, जो उप आयुक्त (श्रम एवं रोजगार), जिला फतेहपुर द्वारा खंड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी, ब्लॉक-भिठौरा, जिला फतेहपुर को संबोधित करते हुए जारी किया गया था। इसके अतिरिक्त, यह भी निवेदन है कि दिनांक 12.11.2010 के विभागीय पत्र के आलोक में, जब तक कि रोजगार सेवक के पद पर किसी नए व्यक्ति की नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक रिट याचिकाकर्ता अपनी सेवा में बना रहेगा और रिट याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई भी प्रतिकूल बात दर्ज नहीं है।

8. श्री गया प्रसाद, विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता तथा दूसरी ओर ग्राम सभा की ओर से अधिवक्ता श्री आज़ाद राय यह प्रस्तुत करते हैं कि चाहे जो भी कहा गया हो, यह तथ्य है कि ग्राम सभा की दिनांक 28.03.2022 की एक प्रस्ताव (रिज़ॉल्यूशन) मौजूद है, जिसके माध्यम से रिट याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि रिट याचिकाकर्ता को दिनांक 01.03.2022 से

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



27.03.2022 तक की अवधि का पारिश्रमिक/मानदेय अदा कर दिया गया है, अतः अब कोई भी अतिरिक्त भुगतान देय शेष नहीं है।

9. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें सुनी हैं तथा अभिलेखों का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया है।

10. प्रथम दृष्टया, रिट याचिकाकर्ता एक ग्राम रोजगार सेवक था, जिसकी नियुक्ति/संलग्नता, निर्देशों के अनुसार, ग्राम सभा के दिनांक 28.03.2022 के प्रस्ताव के माध्यम से समाप्त की गई बताई जाती है। अभिलेख में संलग्न कागजात के पृष्ठ 87 पर उपलब्ध दिनांक 21.10.2022 का

डब्ल्यूआरआईए संख्या 162 वर्ष 2026

4

उप श्रम आयुक्त (श्रम एवं रोजगार), जनपद फतेहपुर द्वारा खंड विकास अधिकारी को प्रेषित पत्र इस बात का संकेत नहीं देता है कि रिट याचिकाकर्ता की सेवाएं ग्राम सभा के उक्त दिनांक 28.03.2022 के प्रस्ताव के द्वारा समाप्त कर दी गई थीं। इसके अतिरिक्त, रिट याचिकाकर्ता द्वारा इस तथ्य का भी विवाद किया जा रहा है कि उसे देय पूर्ण मानदेय/पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया गया है। चूंकि इस प्रकरण में तथ्यात्मक विवाद उत्पन्न हो गया है तथा रिट याचिकाकर्ता ने अपनी सेवामुक्ति (डिसएंगेजमेंट) को भी चुनौती दी है, अतः प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एक सुविचारित निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। प्रतिवादियों द्वारा लिए गए अभिमत के अनुसार, इस संबंध में विचार किए जाने का अधिकार खंड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी, विकास खंड- भिटौरा, जनपद फतेहपुर को निहित है।

11. पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी तर्कों तथा उनके द्वारा लिए गए अभिमत को दृष्टिगत रखते हुए, यह रिट याचिका इस निर्देश के साथ **निस्तारित** की जाती है कि रिट याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता होगी कि वह एक समग्र प्रत्यावेदन, रिट याचिका की स्वप्रमाणित प्रति सहित, प्रतिवादी संख्या-6, खंड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी, विकास खंड- भिटौरा, जनपद फतेहपुर के समक्ष प्रस्तुत करे उक्त प्राधिकारी इस प्रत्यावेदन पर विधि के अनुसार यथाशीघ्र तथा अधिमानतः आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय करेगा।

12. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का **निपटारा** किया जाता है।

अस्वाकरण:- अनुवादित जनपद वादा के समझन हेतु ह आर इसका। कसा अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति विकास बुधवार,)

11 मार्च, 2026

आशु

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।